

20/5/16

प्राथमिक अथवा अन्यथा उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/  
अनुपस्थित/पक्षकारण को लोक अदालत में रफ्तार  
धरम हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रकरण  
लोक अदालत में रफ्तार किया जाता है। पक्षकारण  
दिनांक 9/6/16 लोक अदालत के समक्ष  
उपस्थित रहे।

श्री नदी-  
घाट

जजलण्ड अधिकारी  
बसुदा (अजमेर)

अ. प्रि. वि. र. 2

9/6/16

पत्रावली आज लोक अदालत च्याम बापड़े छर ग्राम  
पंचायत मुख्यालय मोयणा पर पेश हुई। वादी स्वयं  
उपस्थित। इसके बाद पर आगे कार्यवाही नहीं चलाने  
का निवेदन किया। उसी पक्षान संरक्षक ग्राम पंचायत  
मोयणा ने की है। वादी का निवेदन स्वीकार योग्य आज पंचायत मोयणा  
होने से स्वीकार किया जाता है। तथा वाद पत्र पर प. न. मसूदा (अजमेर)  
कार्यवाही शेष करने के आदेश पारित किये जाते हैं।  
मिसल फैसल सुमार लेकर नम्बर से कम हो वाद फल  
कारिबल है।

संरक्षक  
पंचायत मोयणा  
प. न. मसूदा (अजमेर)

जजलण्ड अधिकारी  
बसुदा (अजमेर)

24  
आर. क.  
के. य. ग. म.  
दिनांक 9.9.85  
22/4/16 16.8.85  
21/8/16

क. म. न. वि. र. 2  
Jdanti kumar  
22/4/16  
13.4.18

